

2022/262

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी कुलवीर सिंह पुत्र गोविन्द राम जाति कुम्हार निवासी गली नं0 5 चक 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, भृत्य प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे चाचा लिखमा राम पुत्र तनसुख राम जाति कुम्हार निवासी गली नं0 5 चक 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.10.2010 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 06.06.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 12.10.2010 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान भगवान दास करडवाल पुत्र बहादुर राम एवं महेन्द्र कुमार पुत्र बलराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री श्योपत राम ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सीलड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।  
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।  
जिला पंजीयक महोदय

